F.No. RT-16031/1/2021-T
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Transport Section)
--

Date 03 March, 2021

Subject: - Notification for Electronic Monitoring and Enforcement of Road Safety .

Ministry of Road Transport & Highways has proposed the draft rules for Electronic Monitoring and enforcement of Road safety proposes to introduce Rule 170 under a new Chapter X in the Central Motor Vehicle Rules, 1989, which lays down the manner in which State Governments may undertake to monitor and enforce road safety as per Section 136A.

Accordingly, a draft Notification GSR 136(A) has been published on 25th February, 2021 inviting comments from the General Public and the Stakeholders for a period of 30 days.

The comments or suggestions if any, may be sent to Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001 or email at comments-morth@gov.in.

(Paresh Kumar Goel)
Director(Transport)
Tel.No. 011-23351967

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225462
CG-DL-E-25022021-225462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942
No. 95] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 136(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 136क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 1 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: amit.vardan@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **शीर्षक एवं प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में अध्याय VI

"यातायात नियंत्रण" के नियम 139क के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"139ख. **सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन -**

(क) चालान जारी करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के लिए उपयुक्त पुलिस अधिकारी या नामित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यह प्रमाणित करता है कि उपकरण सही है और उचित तरह से काम कर रहा है। अनुमोदन प्रमाण पत्र को वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ "इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण" का तात्पर्य एक स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, वे इन मोशन (डब्ल्यूआईएम) और ऐसी कोई अन्य तकनीक है। बॉडी वियरेबल कैमरा को पुलिस अधिकारी, परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा धारण किया जा सकता है और अधिकारी को उल्लंघनकर्ता को सूचित करना चाहिए कि बॉडी कैमरा द्वारा उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से डैशबोर्ड कैमरा किसी भी पुलिस वाहन या राज्य सरकार द्वारा यातायात नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत किसी अन्य वाहन के डैशबोर्ड पर लगाया जा सकता है और अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि उसे डैशबोर्ड कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर उच्च-जोखिम वाले और अधिक सघनता वाले गलियारों पर और राज्यों की राजधानियों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (लाख से अधिक शहरी समुदायों / शहरों पर आधारित: भारत की जनगणना 2011 पर उपलब्ध डेटा के अनुसार या नवीनतम जनगणना के अनुसार) में उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण को इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि इससे किसी भी प्रकार की रुकावट, सीधा देखने में परेशानी या यातायात प्रवाह में रुकावट पैदा न हो।

(ग) खंड (क) और (ख) के प्रयोजनार्थ, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के फुटेज का उपयोग निम्नलिखित उल्लंधनों के लिए चालान जारी करने के लिए किया जा सकता है:

i. निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन नहीं चलाना (धारा 112/183)

ii. किसी अनधिकृत स्थान पर वाहन को रोकना या पार्क करना (धारा 122)

iii. चालकों और पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय (धारा 128)

iv. सुरक्षात्मक हेडगियर/ हेलमेट पहनना (धारा 129)

v. लाल बत्ती पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय हैंड हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों का उपयोग करना, कानून का उल्लंघन कर अन्य वाहनों को पास या ओवरटेक करना, अधिकृत यातायात दिशा के विपरीत दिशा में वाहन चलाना, इस तरीके से वाहन चलाना, जो सक्षम और सावधान चालक की अपेक्षा से कम हो और जहां एक सक्षम और सावधान चालक से यह स्पष्ट है कि उस तरीके से वाहन चलाना खतरनाक होगा (धारा 184)

vi. अनुमेय भार से अधिक का वाहन चलाना (धारा 194)

vii. बिना सुरक्षा बेल्ट के वाहन चलाना (धारा 194 ख)

(घ) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण द्वारा मॉनिटर किए गए खंडों से पहले स्पष्ट रूप से जनता को सूचित करते हुए कि ऐसा उपकरण उपयोग में है, उचित चेतावनी संकेत लगाए जाएं । संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पर वास्तविक चिह्नों और पैदल क्रॉसिंग को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया